

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री कमल कुमार मीना R.A.S

मिसल नं०
59/प्रा०पत्र/2021

तारीख दायर
28.07.2021

तारीख फैसल
28.10.2021

मांग्या आ० भूरा जाति भील निवासी ग्राम देवरिया तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

.....अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ताप्रार्थी:- श्री हिम्मत सिंह

अधिवक्ता अप्रार्थी:- परोकार सरकार

- :: निर्णय :: -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 136 भू-राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये कि:-

1. यह कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं० नया 163 पुराना 160 की ख०सं० 2117/1277 रकबा 0.6475 हे० व०केग्राम देवरिया पटवार तालाब बरदा भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र बरुंधन तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है, जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है जिसमें वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 प्रस्तुत है।
2. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करता चला आ रहा है एवं भूमि ग्राम देवरिया में विस्थित है तथा ग्राम देवरिया की आधी से भी ज्यादा गैर खातेदारी में चली आ रही थी जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था।
3. यह कि प्रार्थी की भूमि जो चरण सं० 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेड़ा में आनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि प्रार्थी जहाँ काबिज है, वहाँ का नक्शा व प्रार्थी की भूमि ख०सं० 2117/1277 पर अंकित नहीं किया गया एवं दूसरी जगह का नक्शा प्रार्थी के खाते की भूमि ख०सं० 2117/1277 पर अंकित कर दिया जो कि गलत इन्द्राज हुआ।
4. यह कि एल.आर.एक्ट की धारा 136 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम में गलती हुई हो तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवाकर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धि करवायी जा सकती है।
5. यह कि गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदारान प्रार्थी को नाजायज परेशान करते हैं तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हैं एवं इस बाबत जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी देवरिया से दिनांक 21.06.2021 को निवेदन किया गया कि प्रार्थी की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का देवरिया के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया।
6. यह कि प्रार्थी के द्वारा दिनांक 21.06.2021 को तहसीलदार तालेड़ा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धि के लिए निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेड़ा के द्वारा प्रार्थी की बात नहीं सुनी एवं प्रार्थी की भूमि

के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में लगातार बना हुआ है।

यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखता है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे की पुनः प्रार्थी के खातेदारी की भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्धिकरण दर्ज कर अंकित करें।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदारी में स्थित भूमि खाता सं० नया 163 पुराना 160 की ख०सं० 2117/1277 रकबा 0.6475 हे० वाकेग्राम देवरिया पटवार तालाब बरदा भू-अभि० निरीक्षक क्षेत्र बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्धिकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आनलाईन नक्शे का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा सं० 2117/1277 की तरमीम ख०सं० 1277 के मध्य में पाया गया है। राजस्व रिकार्ड मूल नक्शा लट्टा में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम नहीं हो रही है। ऑनलाईन तरमीम की जगह खातेदार का कब्जा कभी नहीं रहा जबकि उक्त खातेदार इसी ख०नम्बर (1277) में अन्य जगह पर काबिज है, जिसका नजरी नक्शा जवाब के साथ संलग्न है एवं ऑनलाईन नक्शे में पूर्व में की गई तरमीम निरस्त कर उक्त खसरे की प्रस्तावित नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना प्रस्तावित है तथा जिसमें प्रस्तावित शुद्धि अनुसार ऑनलाईन तरमीम को शुद्ध करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

साक्ष्य में प्रार्थी की और नकल जमाबन्दी खाता सं० 163 ग्राम देवरिया संवत् 2076, पटवारी मौका रिपोर्ट ग्राम देवरिया, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम देवरिया की प्रतियाँ पेश की।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा खातेदारी भूमि का राजस्व रिकार्ड के पुनरीक्षण पृष्टियों व कम्प्यूटरीकृत ऑनलाईन गलत इन्द्राज होना स्वीकार किया है। पत्रावली में प्रस्तुत पेरोकार सरकार जवाब एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि का ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम अंकित होना पाया गया है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवरिया तहसील तालेडा की ख०सं० 2017/1277 रकबा 0.6475 हे० भूमि की तरमीम प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौके पर जांच किया जाकर जांच अनुसार भूमि के रकबा की इन्द्राज दुरूस्त किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया



(कमल कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा